लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाष: 91–0755–2583650, फैक्स: 2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in cpibhop@nic.in

क्र./वीडियो कान्फ्रेसिंग/समन्वय/मूल्यां/09/33 भोपाल, दिनांक 06.02.2010

प्रति,

1– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।
2–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।

विषयः– वीडियों कान्फ्रेंसिंग दिनांक 16.02.2010 एवं जिला शिक्षा अधिकारियों व संयुक्त संचालकों के मूल्यांकन के संबंध में।

दिनांक 12.02.2010 को महाशिवरात्री का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण आगामी वीडियों कान्फ्रेंसिंग 16.02.2010 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

वीडियों कान्फ्रेंसिंग का एजेण्डा पूर्ववत ही रहेगा, एवं इसके आधार पर माह फरवरी 2010 के लिये आपके कार्यों का मूल्यांकन प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

31 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये पूर्व प्रेषित एजेण्डा अनुसार आपके द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रपत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है, उक्त प्रपत्र लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाईट www.sednmp.nic.in पर भी उपलब्ध है। उक्त प्रपत्र में निर्देशानुसार अपने कार्यों के मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक 15.02.2010 तक किया जाना सुनिश्चित करें। प्रपत्र में दर्शाए गये कुछ एजेण्डा आयटम प्रविष्ट करने हेतु वांछित आंकडे एजूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है, अतः उक्त जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त उसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

पोर्टल पर आनलाईन जानकारी प्रविष्ट करने हेतु साफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही परीक्षण कर अंतिम रूप से जारी किया जायेगा। उक्त प्रोग्राम पोर्टल पर **समीक्षा लिंक/आईकान** पर उपलब्ध होगा। प्रोग्राम के अंतिम परीक्षण होने की स्थिति में माह जनवरी, 2010 की जानकारी पृथक–पृथक पोर्टल एवं संलग्न एक्सेल शीट में प्रविष्टि कर ईमेल एड्रेस cpibhop@nic.in , vssaxena_bhopal@rediffmail.com पर ईमेल करें। प्रपत्र भरे जाने हेतु एजेण्डा आयटम की इकाई भी प्रपत्र में दर्शा दी गई है, प्रपत्र में जानकारी उक्त इकाई अनुसार ही प्रविष्ट करें। पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र पर जानकारी भरने हेतु निर्देश संलग्न है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिशः उपस्थित रहें ।

नोट :– मूल्यांकन प्रपत्र में प्रविष्टि के सम्बंध में आवश्यकता होने पर श्री निशिकांत जोशी कम्प्यूटर समन्वयक के मो0 क्र. 9926377728 पर सम्पर्क करे।

06.02.10
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/समन्वय/वीडियों कान्फें./मूल्यां/09/34 भोपाल, दिनांक 06.02.2010

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
4. आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त मध्य प्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश।
7. विशेष सहायक/स्टाफ आफिसर, आयुक्त, लोक शिक्षण।

8. निज सहायक संचालक लोक शिक्षण।
9. सम्बंधित अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय।
10. श्रीमती संध्या चौधरी एवं श्रीमती रश्मि जैन , ओ.एस.डी. ,श्री निशिकान्त जोशी कम्प्यूटर समन्वयक वीडियो कान्फेसिंग के एजेण्डा बिन्दु के आधार पर मूल्यांकन प्रपत्रों को डाउन लोड कर उसकी प्रति उपलब्ध करायें ।
11. श्री मयंक नागर , प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. विन्ध्याचल बेसमेंट की ओर सूचनार्थ ।
12. श्रीमती सोनिया माथुर ओ.एस.डी. की ओर सूचनार्थ ।

06.02.10
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

::: मूल्यांकन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश :::

- एक्सेल में भरें गये प्रोफार्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें।
- प्रोफार्मे में जानकारी कालम क्रमांक 4, 5, 6, 8 में संख्यात्मक एवं 11–रिमार्क में ही प्रविष्ट करें।
- समस्त जानकारी कालम के सामने दर्शाई गई इकाई (unit) में ही प्रविष्टि की जाए।
- प्रविष्ट की गई समस्त जानकारियों का सत्यापन संबंधित कक्षों द्वारा कराया जाएगा। अतः जानकारी उपलब्ध अभिलेखों अनुसार ही प्रविष्ट करें।
- कालम क्रमांक 4 में एजेण्डा आयटम की कुल आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे एवं क्रमांक 5 में आवश्यकता अनुसार लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करेंगें।
- प्रत्येक एजेण्डा आयटम हेतु दिनांक 23.12.2009 को जारी परिपत्र अनुसार मूल्यांकन के अंक पूर्व निर्धारित है।
- एजेण्डा आयटम में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर प्रपत्र में अंक एजेण्डा आयटम के सम्मुख दर्शा दिये गये है।
- एजेण्डा आयटम में समय–समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है।
- कालम क्रमांक 8 में स्व–मूल्यांकन के अंक पूर्व निर्धारित अंक से अधिक न हो।
- एजेण्डा आयटम 2-iii कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की ग्रेडिंग में सभी विषय समुहों के अंकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाना है। "B" ग्रेड 60% से अधिक एवं 75% से कम एवं "A" ग्रेड 75% से अधिक का होंगा।

06.02.10
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश